राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : लेखा/अनु.वाहन/समस्त जोन/2015/ 983 दिनांक : 5/2/2015

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन–कोटा/जयपुर/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर

विषयः–अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान/वाहनों के निस्तारण की सूचना भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7/2014 के अनुसार अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान भण्डार सामाग्री व नाकारा वाहनों के निस्तारण हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुये 31.12.2014 तक शत प्रतिशत अप्रचलित/अनुपयोगी सामान/वाहनों के निस्तारण कर प्रगति से अवगत कराने हेतु लिखा गया था। निदेशक, निरीक्षण विभाग के पत्रांक 522–641 दिनांक 02.01.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा अभियान के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की संकलित सूचना (आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों की एक्जाई सूचना) 3 दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करवायें। अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : लेखा/अनु.वाहन/समस्त जोन/2015/983 दिनांक : 5/2/2015

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. स्टोर प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014–2015 (जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक) में नीलामी/अनुपयोगी सामान/वाहनों के निस्तारण से प्राप्त आय की सूचना दिनांक 08.02.2015 तक आवश्यक रूप से भिजवायें।
2. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन्स को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त वर्णित वांछित सूचना को व्यक्तिशः रूचि लेकर आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय वर्ष 2014–2015 (जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक) में नीलामी/अनुपयोगी सामान/वाहनों के निस्तारण से प्राप्त आय की सूचना संकलित करते हुए दिनांक 08.02.2015 तक अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को आवश्यक रूप से प्रेषित करने का श्रम करें।
3. सर्वर रूम।, विभागीय वेबसाईट पर Download करावें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

D:G/LETTERS

राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 5/भौ.स./नकारा/14-15/ 522 - 641

दिनांक : 22-01-2015

विभागाध्यक्ष, निदेशक,
समस्त ~~चिकित्सा~~ एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज0 जयपुर

NO/PA/DI.../.. H./
72
30 JAN 2015
D.M. & H.S. (P.H.)
F.A.

विषय:- अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान/वाहनों के निस्तारण की सूचना भिजवाने के क्रम मे।

प्रसंग:- वित्त (उपापन एवं सा.वि. एवं लेखा नियम) विभाग, का पत्रांक एफ. 6 (1) वित्त / सा.वि.ले.नि./2005/ पार्ट-I दिनाकं 04.07.2014 परिपत्र संख्या 07/2014 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 10112-10376 दिनांक 24.07.2014, 14730-854 दिनांक 11.11.2014 एवं 86-210 दिनांक 06.01.2015

(29)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, वित्त ने समस्त विभागाध्यक्षों/जिला कलेक्टरों/वित्तीय सलाहकारों/मुख्य लेखाधिकारियों को निर्देश प्रदान किये है कि वें अपने विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अनुपयोगी/ अधिशेष/अप्रचलित भण्डार सामग्री/नकारा वाहनों का 100% निस्तारण दिनांक 31.12.2014 तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया था।

A.O. (HQ) आवश्यक कार्यवाही हेतु 3-2-15

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 07/2014 के अनुसार अनुपयोगी/अधिशेष/ अप्रचलित भण्डार सामग्री एवं नकारा वाहनों के निस्तारण हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश भी प्रदान किये गये है कि निर्देशों की 100% पालना सुनिश्चित नहीं करने वाले विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षो के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जावेगी एवं जिन विभागों मे शत प्रतिशत निष्पादन पूर्ण नही होगा उन विभागों के वित्तीय सलाहकार भी इसके लिए जवाबदेह होंगे।

उक्त परिपत्र द्वारा इस विभाग को दिनांक 01.08.2014 से 31.12.2014 तक किये गये प्रत्येक निष्पादन का विशेष अंकेक्षण एवं जारी निर्देशों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। वित्त विभाग के परिपत्र की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने हेतु आप अपने विभाग एवं अधिनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित सूचना संकलित कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। सन्दर्भित परिपत्र में वर्णित अवधि 31.12.2014 को समाप्त हो चुकी है। अतः परिपत्र के अनुसरण में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण हो चुकी होगी। अतः आपसे संलग्न परिपत्र मे विभाग की इकजाई सूचना संकलित कर 15.01.2015 तक भिजवाने हेतु लिखा गया था, किन्तु अभी तक आपके विभाग से इकजाई सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः विभाग की इकजाई सूचना 31.01.2015 तक आवश्यक रूप से भिजवाये ताकि परिपत्र के अनुसरण में आपके विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अनुपयोगी/अधिशेष/अप्रचलित भण्डार सामग्री/नकारा वाहनों के निस्तारण की विशेष जांच कराई जा सके।

भवदीय

निदेशक

क्रमांक: एफ. 5/भौ.स./नकारा/14-15/

दिनांक :

प्रतिलिपि संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राज0 जयपुर का पत्र क्रमांक एफ. 6 (1) वित्त/अंकेक्षण/2014/पार्ट-I/दिनांक 05.01.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

//

निदेशक

ए-ब्लॉक, चतुर्थ तल, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर दूरभाष-0141-2740324, फैक्स 2740324, ई-मेल dir-ins-rj@nic.in